

जे०पी० अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरठ

दिनांक: 24.09.2016

अति-आवश्यक सूचना

कृपांक (Grace Mark) के द्वारा उत्तीर्ण होने के बावजूद कैरी ओवर परीक्षा देने के संदर्भ में

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या ए०के०टी०यू० / प०नि०कार्या० / 2016 / 30035 दिनांक 23.09.2016 के परिप्रेक्ष्य में समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि यदि कोई छात्र/छात्रा किसी विषय में कृपांक (Grace Mark) द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है, एवं छात्र/छात्रा उक्त विषय की आगामी होने वाली कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहता है तो संशोधित नियमों के अनुसार कैरी ओवर परीक्षा में प्रतिभाग कर सकता है। पूर्व के कृपांक (Grace Mark) के नियमों को संशोधित कर दिया गया है।

(डॉ० आलोक अग्रवाल)

निदेशक

प्रतिलिपि:

1. समस्त सूचना पटों पर छात्र/छात्राओं को सूचनार्थ
2. श्री सुरेन्दर कुमार को संस्थान की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु